न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. (155/2024) 10/2025

सांवरलाल पुत्र मगना जाति गुर्जर निवासी भीवड़ावास तहसील केकडी जिला अजमेर

बनाम

1. नौसी देवी पत्नी हेमराज जाति गुर्जर निवासी भीमड़ावास हाल निवासी शम्भू ठेकेदार का मकान, गुर्जरों की ढ़ाणी, हनुमान दड़ी, झालामण्ड सर्किल के पास, जोधपुर
2. नायब तहसीलदार कादेड़ा
3. तहसीलदार केकड़ी
4. भैरूलाल पुत्र हेमराज जाति गुर्जर निवासी भीवड़ावास

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध नामांतकरण सं. 1588 दिनांक 25.07.2024 तहसीलदार केकडी

उपस्थितः—

1. श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलार्थी।

निर्णय

दिनांक 26.06.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भीमड़ावास उपतहसील कादेड़ा तहसील केकड़ी स्थित आराजी खाता संख्या नया—पुराना 234—113 कुल किता 15 कुल रकबा 8.74 हैक्ट. एवं खाता संख्या नया—पुराना 21—181 कुल किता 1 कुल रकबा 1.09 हैक्ट. में नौसीदेवी का क्रमशः 1/14 एवं 1/6 हिस्सा निहित था। जिसे नौसीदेवी ने दिनांक 13.06.2024 को जरिये रिलीज डीड अपीलान्ट व स्वयं के पुत्र रेस्पो. सं. 4 भैरूलाल के हक में उपपंजीयक कार्यालय कादेड़ा में पंजीबद्ध करवाया। उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु नामान्तरण संख्या 1588 दिनांक 25.07.2024 भरकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नामान्तरण कार्यवाही के दौरान रेस्पो. सं. 1 द्वारा दिनांक 26.07.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नामान्तरण को रेस्पो. सं. 2 द्वारा गलत एवं अवैध रूप से खारिज कर दिया गया। हक त्याग की उक्त भूमि के नौसीदेवी के हिस्से पर अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 4 काबिज काश्त है। उक्त खारिज कार्यवाही करने से पूर्व रेस्पो. सं. 2 द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से उक्त खारिज आदेश निरस्त योग्य होने से तदनुसार निवेदन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में किया गया है।

नामान्तरण 1588 दिनांक 25.07.2024 के खारिज आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.11.2024 को ऑनलाइन जमाबंदी देखने पर हुई तथा दिनांक 26.11.2024 को नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 4 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थनापत्र मियाद अधिनियम पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पंजीकृत लीज डीड के 44 दिन बाद रेस्पो. नौसीदेवी ने नामान्तरण निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक अंकित नहीं है लेकिन मार्किंग दिनांक 26.07.2024 की अंकित है। उक्त नामान्तरण लंबित रखते हुये बिना सुनवाई किये खारिज कर दिया। विधिक प्रक्रिया के तहत पंजीकृत हकत्याग को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई बल्कि सिर्फ एक प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना सुनवाई किये नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण निरस्त कर दिया। जबकि सामान्य न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपीलान्ट को सुना जाना चाहिये था। नायब तहसीलदार द्वारा इस दौरान अपीलान्ट को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी किया हो, ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं है। अतः उक्त नामान्तरण खारिज आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 4 के हक में की गई पंजीकृत रिलीज डीड के आधार पर ग्राम भीमड़ावास का नामान्तरण संख्या 1588 दिनांक 25.07.2024 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण रोकने बाबत प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार द्वारा "प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2024 के कारण विवादित नामान्तरण FIFO के कारण प्रक्रियाधीन नहीं रखा जा सकता" की टिप्पणी अंकित कर नामान्तरण निरस्त कर दिया। उक्त नामान्तरण निरस्त कार्यवाही से पूर्व तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का सुनवाई हेतु नोटिस संबंधित पक्षकारान को जारी किया हो ऐसा कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी द्वारा नामान्तरण संख्या 1588 दिनांक 25.07.2024 को खारिज किये जाने के आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट/पक्षकारान को साक्ष्यं एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये दस्तावेजी साक्ष्यों का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/6/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी